झारखण्ड सरकार

झारखण्ड विधान-सभा

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् विधेयक, 2002

(सभा द्वारा यथापारित)

विषय-सूची

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2. परिभाषायें

अध्याय 2 : झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

3. परिषद् की स्थापना एवं निगमन
4. परिषद् का गठन
5. परिषद् में रिक्ति के कारण अधिनियम या कार्यवाही का अमान्य नहीं होना
6. कार्य का संचालन
7. परिषद् का कृत्य एवं शक्तियाँ
8. पाठ्यक्रम समिति
9. परिषद् के कार्यकलापों की जाँच
10. परिषद् के पदाधिकारीगण
11. अध्यक्ष की नियुक्ति एवं निष्कासन
12. अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति
13. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य
14. सचिव की नियुक्ति एवं निष्कासन
15. सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ
16. परिषद् के अवक्रमण की शक्ति

अध्याय 3 : झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि

17. परीक्षा निधि
18. परीक्षा निधि का उपयोग
19. परिषद् के लेखा का अंकेक्षण

अध्याय 4 : परीक्षाएँ

20. परीक्षाओं का लक्ष्य एवं उद्देश्य
21. इन्टरमीडिएट या 10+2 परीक्षा
22. माध्यमिक परीक्षा
23. संस्कृत परीक्षा
24. मदरसा परीक्षा

अध्याय 5 : सेवा परिनियम

25. सामान्य सेवा शर्तें

अध्याय 6 : विविध

26. राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति
27. परिषद् को विनियम बनाने की शक्ति
28. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन
29. व्यावृति
30. निरसन और व्यावृति

झारखण्ड अधिविद्य परिषद् विधेयक, 2002

झारखण्ड राज्य में एक अधिविद्य परिषद् की स्थापना हेतु विधेयक ।

[सभा द्वारा यथा पारित]

जहाँ यह इष्टकर है कि झारखण्ड राज्य में इंटरमीडिएट शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा की समाप्ति के स्तर पर परीक्षाओं का संचालन एवं इन परीक्षाओं के निमित्त पाठ्यक्रमों का निर्धारण, इन्टरमीडिएट शैक्षणिक संस्थानों, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की प्रस्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अनुशंसा भेजना एवं इन उद्देश्यों से संबंधित अन्य विषयों अथवा कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु झारखण्ड अधिविद्य परिषद् की स्थापना की जाए ।

एतद् द्वारा यह अधिनियम भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

अध्याय-1
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

(1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिविद्य परिषद् अधिनियम, 2002 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषायें – जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ के विरुद्ध नहीं हो इस अधिनियम में

(क) "प्रशासक" से अभिप्रेत है परिषद् का प्रशासक, जब परिषद् उत्क्रमित हो या गठित न हो ।

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है परिषद् का अध्यक्ष ।

(ग) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा-3 के अधीन स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद् ।

(घ) "परीक्षा निधि" से अभिप्रेत है धारा-17 के अधीन स्थापित झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि ।

(ङ) "उच्च विद्यालय" से अभिप्रेत है माध्यमिक शिक्षा प्रदान करनेवाला प्रस्वीकृत विद्यालय ।

(च) "इंटरमीडिएट शिक्षा" से अभिप्रेत है इंटरमीडिएट पाठ्यक्रम के अनुरूप +2 स्तर की प्रदत्त शिक्षा और जिसमें (+2) या 10 वीं स्तर के बाद या डिग्री (त्रिवर्षीय) स्तर के पूर्व की द्विवर्षीय शिक्षा शामिल है ।

(छ) "मदरसा" से अभिप्रेत है वैसा संस्थान जहाँ अरबी, फारसी एवं इस्लाम के अध्ययन की व्यवस्था है ।

(ज) "निर्धारित" से अभिप्रेत है धारा-26 के अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा निर्मित नियमावली एवं धारा-27 के अधीन परिषद् द्वारा निर्मित विनियम के द्वारा निर्धारित ।

(झ) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा-27 के अधीन परिषद् के द्वारा निर्मित विनियम ।

(ञ) "नियमावली" से अभिप्रेत है धारा-26 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्मित नियमावली ।

(ट) "संस्कृत विद्यालय" से अभिप्रेत है प्रस्वीकृत संस्था जहाँ मध्यमा स्तर (प्रारंभिक या आधुनिक) तक संस्कृत में शिक्षा प्रदान किया जाता है ।

(ठ) "सचिव" से अभिप्रेत है परिषद् का सचिव ।

अध्याय–2
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्

3. परिषद् की स्थापना एवं निगमन

(1) राज्य सरकार के द्वारा एक परिषद् स्थापित किया जायेगा जो झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के नाम से जाना जायेगा, जो एक निगमित निकाय होगा और उसे शास्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर होगी और उक्त नाम से वह वाद चला सकेगी तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा । यह एक स्वशासी संस्था होगी ।

(2) परिषद् को चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारित करने तथा इस अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमावली के अधीन संपत्ति के स्थानान्तरित करने, संविदा करने और इन प्रयोजनों के लिए आवश्यक सभी अन्य कार्य करने की शक्ति होगी ।

4. परिषद् का गठन

(1) परिषद् के निम्नांकित सदस्य होंगे
- (क) अध्यक्ष
- (ख) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखण्ड, पदेन
- (ग) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत झारखण्ड राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, परन्तु यह कि अगर दो से ज्यादा विश्वविद्यालय हों तब राज्य सरकार दो विश्व-विद्यालयों से एक-एक प्रतिनिधि नियमावली के द्वारा निर्धारित चक्रानुक्रम में मनोनीत करेगी,
- (घ) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत संस्कृत के एक विद्वान, जिन्हें कम से कम 15 वर्षो को शिक्षण या प्रशासनिक अनुभव हो,
- (ड.) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अरबी, फारसी या उर्दू के विद्वान जिन्हें कम से कम 15 वर्षों का शिक्षण या प्रशासनिक अनुभव हो,
- (च) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 10+2 संस्था के विद्वान प्राचार्य, जिन्हें कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव हो,

(2) (क) राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली के विशेषज्ञ अधिकतम तीन व्यक्तियों को परिषद् के सदस्य के रूप में उप धारा-(4) में निर्धारित अवधि के लिए मनोनीत करेगी ।

(ख) राज्य सरकार एक चाटर्ड एकाउन्टेन्ट को तीन वर्षों की अवधि के लिए मनोनीत करेगी ।

(3) उप धारा-(2) के उपबंधों के अधीन अध्यक्ष एवं पदेन सदस्य के अलावे अन्य सदस्यों की पदावधि राज्य सरकार के प्रसाद-पर्यन्त शासकीय अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए होगी ।

(4) एक व्यक्ति जो अध्यक्ष या सदस्य का पदधारक है अपनी पदावधि की समाप्ति के पश्चात् तीन वर्षों के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु अधिकतम दो पदावधियों के लिए अर्हित होगा ।

5. परिषद् में रिक्ति के कारण अधिनियम या कार्यवाही का अमान्य नहीं होना ।

किसी अधिनियम या परिषद् या परिषद् की किसी समिति का कार्यवाही पर मात्र इस आधार पर प्रश्न खड़ा नहीं किया जायेगा कि परिषद् में रिक्ति या परिषद् या समिति के गठन में त्रुटि है ।

6. कार्य का संचालन

परिषद् या इस अधिनियम के अन्तर्गत परिषद् द्वारा गठित समिति की बैठकों का संचालन परिषद् के विनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा ।

7. परिषद् का कृत्य एवं शक्तियाँ

(1) परिषद्

(i) निम्नलिखित परीक्षायें संचालित करेगी

(क) इंटरमीडिएट या 10+2 परीक्षा

(ख) माध्यमिक परीक्षा

(ग) माध्यमा परीक्षा (संस्कृत परीक्षा)

(घ) मदरसा परीक्षा, एवं

(ड.) कोई अन्य परीक्षायें जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जायेगी ।

(ii) पूर्ववर्ती उपखंडों में अंकित परीक्षाओं में सम्मिलित होनेवाले छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन हेतु तंत्र एवं प्रणाली के उन्नयन के प्रयोजनार्थ उपायों एवं तरीकों का निर्माण करेगी ।

(2) परिषद् विशेषत: एवं पूर्व उल्लिखित शक्तियों के सामान्य सिद्धान्त के प्रति बिना पूर्वाग्रह के निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी –

(क) विभिन्न विषयों के लिए गठित पाठ्यक्रम समितियों के विमर्शानुसार परीक्षा के लिए प्रश्न चयनकर्त्ताओं, मर्यादकों, परीक्षकों, अंक नियोजकों, पर्यवेक्षकों एवं वीक्षकों की नियुक्ति करना,

(ख) मान, मर्यादन, गणना एवं परीक्षाफल का प्रकाशन तथा तत्संबंधी, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, पुरस्कार एवं छात्रवृति प्रदान करना,

(ग) परिषद् के द्वारा अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अनुमति देना एवं समुचित तथ्यों के आधार पर अयोग्य घोषित करना,

(घ) परिषद् द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क की मांग तैयार एवं प्राप्त करना,

(ड.) परीक्षाओं के लिए केन्द्र निर्धारित करना,

(च) अभ्यर्थियों की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु उन्नत विधि विकसित करना एवं समय-समय पर नयी विधि हेतु प्रयोग करना,

(छ) दुराचरण एवं अवज्ञा के कारण विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं संस्था के प्रधानों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनिक कार्रवाई करना,

(ज) शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा एवं व्यवसायिक स्तर का बनाये रखने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था करेगी एवं राज्य सरकार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रेषित करना,

(झ) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों के अन्तर्गत उच्च विद्यालयों, इंटरमीडिएट शिक्षा संस्थानों, मदरसों एवं संस्कृत विद्यालयों की प्रस्वीकृति एवं उसकी वापसी, निरसन या प्रस्वीकृति का निलंबन हेतु राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा भेजना,

(ञ) राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य परीक्षाओं का संचालन एवं अन्य कर्त्तव्यों का संपादन करना,

8. पाठ्यक्रम समिति

(1) परिषद् प्रत्येक विषय समूह या विषय के लिए पाठ्यक्रम समितियाँ गठित करेगी,

(2) राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु परिषद् द्वारा निम्नलिखित विषयों पर अनुशंसा की जायेगी-

(क) परियोजना एवं पाठ्यक्रम,

(ख) स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्यपुस्तक का निर्माण,

(ग) शिक्षण पद्धति में सुधार एवं अत्याधुनिक तकनीकियों के संबंध में सुझाव, और

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजन के अनुरूप समय-समय पर अधिरोपित अन्य कार्य ।

9. परिषद् के कार्यकलापों की जाँच

(1) राज्य सरकार विशेष सचिव के स्तर से अन्यून एक पदाधिकारी को निम्नलिखित मामले का निरीक्षण, जाँच एवं निष्कर्ष प्रतिवेदन करने हेतु प्रतिनियुक्त कर सकेगी ।

(क) परिषद् का कार्य कलाप,

(ख) परिषद् के किसी प्रशाखा का कार्य कलाप,

(ग) वित्तीय मामले,

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों एवं इसके अधीन निर्मित नियमावलियों के अनुपालन में किसी प्रकार की भिन्नता या विचलन, और

(ड.) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित अन्य मामले ।

(2) प्रतिनियुक्त निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण या जाँच के प्रयोजनार्थ माँगा गया कोई अभिलेख, पत्राचार, प्रतिवेदन, विवरणी, लेखा या सांख्यिकी परिषद् उपलब्ध करायेगा । परन्तु यह कि ऐसा अभिलेख या कागजात जाँच या निरीक्षण हेतु नहीं मांगा जायेगा जो परिषद् की दृष्टि में परीक्षा की गोपनीयता के लिए हानिकारक हो ।

(3) राज्य सरकार प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा पर विचारोपरान्त समुचित निर्देश परिषद् को देगी और परिषद् उसका अनुपालन करेगा ।

(4) तथापि उप धारा-1(1) एवं (3) में अंकित तथ्यों के बाद भी राज्य सरकार समय-समय पर समुचित सामान्य या विशेष निर्देश परिषद् को दे सकता है और परिषद् उस निर्देश का अनुपालन करेगी ।

10. परिषद् के पदाधिकारीगण

परिषद् के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा

(i) अध्यक्ष

(ii) सचिव

(iii) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के द्वारा घोषित सभी पदाधिकारी परिषद् के पदाधिकारी होंगे ।

11. अध्यक्ष की नियुक्ति एवं निष्कासन

(1) राज्य सरकार अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी, जो परिषद् का एक पूर्णकालिक पदाधिकारी होगा ।

(2) अध्यक्ष का वेतन, भत्ता एवं अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(3) राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा अध्यक्ष को हटा सकती है अगर वह कार्य करने से इन्कार करत हो या कार्य करने में अक्षम हो या यदि वह इस तरह कार्य करता है जो राज्य सरकार यह समझती है कि वह कार्य परिषद् के हित के प्रतिकूल है ।

12. अध्यक्ष के कार्यालय में रिक्ति

(1) अवकाश, बीमारी या कोई अन्य कारण से अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या अध्यक्ष के पद रिक्ति के मामले में राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अध्यक्ष का पदभार संभालेगा ।

13. अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य

(1) यह सुनिश्चित करना अध्यक्ष का कर्त्तव्य होगा कि अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमावली या विनियम के उपबंधों का यथावत पालन होता है एवं इस प्रयोजनार्थ उसे सभी आवश्यक शक्तियाँ होगी ।

(2) अध्यक्ष को परिषद् की बैठक बुलाने की शक्ति होगी ।

(3) वह गोपनीय प्रकृति के कार्य का सभी ठेका यथा, प्रश्न पत्र और, या प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका का मुद्रण एवं गंतव्य स्थानों तक आपूर्त्ति की स्वीकृति देगा । वह गोपनीय मुद्रक के विषय में गोपनीयता बरतने को ध्यान में रखते हुए वह सभी प्रकार का गोपनीय एकरारनामा हस्ताक्षर करेगा तथा उससे संबंधित भुगतान करेगा ।

(4) परिषद् के प्रशासनिक कार्यकलाप के कारण उत्पन्न आपात स्थिति में अध्यक्ष अगर ऐसा समझता है कि कोई कार्रवाई तत्काल आवश्यक है तब वह तत्काल कार्रवाई करेगा, लेकिन उसके तुरंत बाद परिषद् की आगामी बैठक में प्रतिवेदित करेगा ।

(5) अध्यक्ष उन सभी शक्तियों का उपयोग करेगा जो इस अधिनियम के अधीन नियमों के द्वारा निर्धारित है ।

14. सचिव की नियुक्ति एवं निष्कासन

(1) राज्य सरकार नियमावली के द्वारा निर्धारित समझौता एवं शर्त्तों पर समुचित योग्यता धारण करने वाला पदाधिकारी को परिषद् का पूर्णकालिक सचिव के रूप में नियुक्ति करेगा ।

(2) राज्य सरकार सचिव को किसी भी समय पद से हटा सकेगा, अगर वह कार्य करने से इंकार करे या कार्य करने में असमर्थ हो या इस प्रकार का कार्य करे जो राज्य सरकार की दृष्टि में परिषद् के हित के प्रतिकूल हो ।

15. सचिव का कृत्य एवं शक्तियाँ

(1) परिषद् के नियंत्रण के अधीन सचिव परिषद् का प्रशासनिक पदाधिकारी होगा और वह वार्षिक प्राक्कलन और लेखा विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उत्तरदायी होगा,

(2) परिषद् के आय व्ययक के उपबंधों के अनुरूप राशि के व्यय हेतु उत्तरदायी होगा,

(3) परिषद् की बैठक की कार्यवाही रखने के लिए उत्तरदायी होगा,

(4) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को परिषद् की ओर से प्रमाण-पत्र एवं आवश्यकतानुसार दूसरे प्रमाण-पत्र भी निर्गत करेगा,

(5) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के द्वारा निर्धारित अन्य शक्तियों का भी उपयोग करेगा,

(6) वह परिषद् की बैठक बुलाने एवं उसमें उपस्थित होने के लिए अधिकृत होगा । लेकिन वह मत देने के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

16. परिषद् के अवक्रमण की शक्ति

(1) राज्य सरकार के विचार में अगर परिषद् अधिनियम के अधीन या द्वारा निर्धारित कर्त्तव्यों के निर्वहन में अक्षम है या अपने कार्यकलाप में लगातार असफल हो रहा है या राज्य सरकार द्वारा धारा-9 की उप धारा-(4) के अन्तर्गत निर्गत आदेशों का अनुपालन नही किया है या अपनी शक्ति के बाहर जाकर कार्य किया है या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किया है, तब राज्य सरकार राजकीय गजट में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा उसमें अंकित अवधि के लिए परिषद् को अवक्रमित कर सकेगी ।

(2) उप धारा-(1) के अधीन परिषद् के अवक्रमण से संबंधित अधिसूचना प्रकाशन के पश्चात्

(क) परिषद् के अध्यक्ष एवं सभी सदस्य अवक्रमण की तिथि के प्रभाव से अपना पद रिक्त कर देंगे ।

(ख) परिषद् के द्वारा या ओर से इस अधिनियम के अधीन संपादित किये जाने वाले सभी कर्त्तव्यों एवं उपयोग की जाने वाली सभी शक्तियाँ परिषद् के अवक्रमण की अवधि में राज्य सरकार द्वारा विधिवत नियुक्त प्रशासक के द्वारा संपादित या उपयोग की जायगी ।

(ग) अवक्रमण की अवधि में परिषद् में निहित सारी सम्पत्तियाँ राज्य सरकार में निहित होगी ।

(3) उप धारा-(1) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना में अंकित अवक्रमण अवधि की समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार

(क) अवक्रमण अवधि उस समय तक बढ़ा सकती है जो वह उचित समझे किन्तु यह अवधि एक वर्ष से अधिक नही होगी,

(ख) धारा-4 के अन्तर्गत परिषद् का पुनर्गठन कर सकर्ता है,

(4) जब धारा-4 के अन्तर्गत परिषद् का गठन नहीं किया हो, तब राज्य सरकार प्रशासक की नियुक्ति करेगी ।

अध्याय-3
झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि

17. परीक्षा निधि

(1) झारखण्ड अधिविद्य निधि नाम की एक निधि स्थापित की जायेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ एवं उसके उपबंधों के अन्तर्गत परिषद् में निहित होगी ।

(2) झारखण्ड अधिविद्य परिषद् निधि के खाता में निम्नलिखित राशि जमा की जायगी ।

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के अन्तर्गत परिषद् के द्वारा या ओर से प्राप्त सभी देय शुल्क एवं कर की राशि ।

(ख) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु परिषद् के द्वारा उधार ली गयी राशि ।

(ग) परिषद् द्वारा प्राप्त सभी अन्य प्राप्तियाँ जो पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित नहीं है ।

(3) उपधारा-(2) के अन्तर्गत प्राप्त सभी राशियाँ किसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित भारतीय बैंक में संधारित झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के खाता में जमा की जायगी ।

18. परीक्षा निधि का उपयोग

(1) परीक्षा निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जायेगा ।

(क) इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के उपबंधो के कार्यान्वयन के लिए परिषद् के द्वारा लिये गये ऋण का भुगतान,

(ख) परिषद् के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भत्ता एवं मानदेय का भुगतान,

(ग) परिषद् एवं विभिन्न समितियों के सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों का भुगतान,

(घ) जिला प्रशासन को स्वतंत्र, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा के संचालन हेतु भुगतान,

(ड.) परीक्षा संचालन कार्य में लगे चुनिन्दा पदाधिकारियों को मानदेय भुगतान,

(च) परीक्षा से संबंधित कार्यो पर हुए व्यय एवं इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावलियों एवं विनियमों के द्वारा परिषद् को अधिरोपित कर्त्तव्यों के संपादन पर हुए व्यय का भुगतान,

(छ) परीक्षा निधि के अंकेक्षण व्यय का भुगतान ।

(ज) किसी वाद या याचना जिसमें परिषद् और, या परिषद् के पदाधिकारीगण पक्षकार है, पर हुए व्यय का भुगतान,

(झ) परिषद् के भवनों के मरम्मत एवं रख रखाव पर हुए व्यय का भुगतान,

(ञ) कार्यालय व्यय एवं कार्यालय भवन के किराया पर हुए व्यय का भुगतान,

(ट) अन्य व्ययों, जो पूर्ववर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित नहीं है, का भुगतान,

19. परिषद् के लेखा का अंकेक्षण

परिषद् के लेखा का अंकेक्षण बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि अंकेक्षण अधिनियम, 1925 (बी० एण्ड ओ० अधिनियम II, 1925) के अन्तर्गत की जायगी और इसके प्रयोजनार्थ परिषद् एक स्थानीय प्राधिकार होगा, जिसका लेखा राज्य सरकार के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-3 के अधीन अंकेक्षनीय घोषित किया गया होगा । परीक्षा निधि एक स्थानीय निधि होगी ।

परन्तु परीक्षा कार्य से संबंधित गोपनीय कार्यों यथा प्रश्न पत्रों का चयन, प्रश्न पत्रों का मर्यादन, प्रश्न पत्रों या प्रश्न सह उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण, आपूर्ति तथा परीक्षाफल तैयार करना आदि पर हुए व्यय का अंकेक्षण गोपनीय मुद्रकों के विषय में जानकारी को गुप्त रखने हेतु नहीं किया जाएगा ।

अध्याय – 4
परीक्षाएँ

20. परीक्षाओं का लक्ष्य एवं उद्देश्य

परिषद् के द्वारा संचालित परीक्षाओं का लक्ष्य, भारतीय संघ के उपयोगी नागरिक के रूप में अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण, विभिन्न व्यवसायों एवं सेवाओं में चयन हेतु उनकी योग्यताएँ एवं तैयारियों एवं विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्ति हेतु उनकी उपयुक्तता की जाँच करना होगा । परीक्षा का उद्देश्य माध्यमिक, इंटरमीडिएट, मदरसा एवं मध्यमा स्तर की शिक्षा सत्र की समाप्ति के पश्चात् विद्यार्थियों की उपलब्धता का मूल्यांकन करना होगा ।

21. इन्टरमीडिएट या 10+2 परीक्षा

परिषद् के साथ पंजीकृत छात्र को निर्धारित शुल्क भुगतान करने के आधार पर इंटरमीडिएट या 10+2 की अंतिम परीक्षा में उसी संकाय एवं विषय में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए वह पंजीकृत है एवं जिसके लिए वह परीक्षा में शामिल होने के योग्य घोषित किया गया है ।

22. माध्यमिक परीक्षा

माध्यमिक परीक्षा परिषद् के द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों को शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वे माध्यमिक स्तर के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप उच्च विद्यालयों में अध्ययन किये होंगे तथा परिषद् के साथ पंजीकृत होंगे ।

23. संस्कृत परीक्षा

परिषद् के साथ पंजीकृत विद्यार्थी को मध्यमा परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा सकती है अगर वह संस्कृत विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा किया होगा ।

24. मदरसा परीक्षा

परिषद् उन्हीं छात्रों के लिए परीक्षा संचालित करेगी जो परिषद् के साथ पंजीकृत होंगे एवं मदरसा में पढ़ाया जानेवाला पाठ्यक्रम पूरा किये होंगे ।

अध्याय-5
सेवा परिनियम

25. सामान्य सेवा शर्तें

परिषद् के कर्मचारियों की सेवा शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनायी जाने वाली विनियमों के द्वारा निर्धारित की जायगी, जो इस अधिनियम लोगू होने के एक वर्ष के अन्दर निरूपित किए जाएंगे ।

अध्याय-6
विविधा

26. राज्य सरकार को नियमावली बनाने की शक्ति

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों एवं उद्देश्यों को लागू करने हेतु पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना के माध्यम से नियमावली बना सकती है ।

(2) राज्य सरकार विशेषत: एवं पूर्व उल्लिखित शक्तियों के सामान्य सिद्धान्त के प्रति बिना पूर्वाग्रह के निम्नलिखित के लिए नियमावली बना सकती है :

(क) धारा-13 अन्तर्गत उप धारा-(5) में निर्धारित अध्यक्ष की शक्तियों के संबंध में,

(ख) परिषद् के सचिव की योग्यताएँ एवं नियुक्ति संबंधी समझौता एवं शर्त्तों का निर्धारण,

(ग) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक परीक्षाओं के स्तर का निर्धारण,

(घ) पाठ्य पुस्तक तैयार करने हेतु उत्तरदायी अधिकारी को पाठ्य पुस्तक तैयार करने के लिए दिये जाने वाले निर्देशों का निर्धारण,

(ड.) परिषद् के द्वारा संचालित की जाने वाली अन्य परीक्षाओं तथा धारा-7 में अंकित कर्त्तव्यों के अलावे अन्य सम्पन्न किये जाने वाले कर्त्तव्यों का निर्धारण,

(च) धारा-10 के कंडिका (III) के अन्तर्गत पदाधिकारियों को परिषद् का पदाधिकारी घोषित करना,

(छ) अगर इस अधिनियम में किसी विषय में स्पष्ट उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध है, तब इस अधिनियम के प्रयोजनों को प्रभावी बनाने हेतु अन्य विषयों के संबंध में,

27. परिषद् को विनियम बनाने के शक्ति

इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमावलियों के अनुरूप परिषद् पूर्व प्रकाशन एवं राज्य सरकार की संपुष्टि के पश्चात् निम्नलिखित विषयों पर विनियम बना सकती है, यथा -

(क) परिषद् एवं इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों की बैठकों के संचालन को नियंत्रित करने हेतु अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया,

(ख) शर्त्तें जिसके अधीन छात्रों को परिषद् की परीक्षाओं में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी,

(ग) परिषद् की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए लिया जाने वाला शुल्क,

(घ) परीक्षकों की नियुक्ति एवं कर्त्तव्यों की शर्त्तें एवं पद्धतियाँ तथा परीक्षाओं का संचालन,

(ड.) धारा-15 की उप धारा-(5) के अन्तर्गत सचिव के द्वारा उपयोग की जाने वाली शक्तियाँ,

(च) परिषद् के कर्मचारियों के लिए सेवा संहिता एवं आचरण नियमावलियाँ, एवं

(छ) इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित नियमावलियों के सभी विषयों जो विनियमों के द्वारा उप बंधित होने वाला है या उपबंधित हो सकता है ।

28. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्जन

(1) परिषद् या इसके पदाधिकारियों या इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों के द्वारा दिये गये किसी आदेश या निर्णय के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत या आपत्ति पर कार्रवाई करने किसी न्यायालय या प्राधिकार या फोरम के क्षेत्राधिकार में नहीं होगा तथा परिषद् या इसके पदाधिकारियों या इसकी समितियों के द्वारा की गयी कार्रवाई या की जाने वाली कार्रवाई पर किसी न्यायालय या प्राधिकार या फोरम के द्वारा निषेधाज्ञा लागू नहीं किया जाएगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन परिषद् के अधिकारियों के द्वारा सद्भावना से किये गये और किये जाने वाले किसी कार्य के विरूद्ध किसी प्रकार का अभियोग, वाद या अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी ।

29. व्यावृति

इस अधिनियम के समुचित उपबंधों के अधीन जब तक राज्य सरकार नियमावली एवं विनियम बनाती है, जिसकी अवधि अधिकतम एक वर्ष होगी तब तक बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम 26, 1992), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1952 (बिहार अधिनियम, 7, 1952) (झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 के रूप में अंगीकृत), बिहार संस्कृत शिक्षा समिति अधिनियम 1981 (बिहार अधिनियम, 31, 1982) एवं बिहार मदरसा शिक्षा समिति अधिनियम, 1981, (बिहार अधिनियम, 32, 1982) के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम, जो इस अधिनियम के लागू होने के ठीक पूर्व लागू था, स्वत: समाप्त होते हुए भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा संशोधित एवं अंगीकृत होने के उपरान्त लागू समझा जायगा और इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली एवं विनियम माना जायगा ।

30. निरसन और व्यावृति

(1) बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम, 26, 1992) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम, 1992 (बिहार अधिनियम, 7, 1952) (झारखण्ड माध्यमिक परीक्षा परिषद् अधिनियम, 2000 के रूप में अंगीकृत), बिहार संस्कृत शिक्षा समिति अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम, 31, 1982) और बिहार मदरसा शिक्षा समिति अधिनियम, 1981 (बिहार अधिनियम, 32, 1982) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) इस प्रकार निरसन उपरान्त भी उक्त अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियम के अधीन किया गया या द्वारा की गयी मानी जाएगी जैसे कि यह अधिनियम उस दिन लागू था जिस दिन वह कार्य किया गया था या कार्रवाई की गई थी ।

यह विधेयक झारखण्ड अधिविद्य परिषद् विधेयक, 2002 दिनांक 24 अगस्त, 2002 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 24 अगस्त, 2002 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(इन्दर सिंह नामधारी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड विधान-सभा ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 99--81--23-8-2003--शनि मुण्डा ।